



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2010/कार्तिक 12, 1932

No. 611]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2010/KARTIKA 12, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 881(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 26 जुलाई, 2001 में प्रकाशित और भारत सरकार के तत्कालीन विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 555(अ), तारीख 26 जुलाई, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के खंड (1) में,—

(i) उपखंड (घ) में,—

(क) मद (i), में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु 26 जुलाई, 2001 को या पहले निगमित निधि मामलों में जिनके पास उपर्युक्त परिसीमाओं से अधिक के निक्षेप हैं, तो उन्हें नीचे दी गई समय सारणी के अनुसार शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि स्थिति को बढ़ाकर या अनुकल्पतः निक्षेप को कम करके विहित सीमा में लाया जाएगा :

|   |   |
|---|---|
| (31-3-2010 को) शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि निक्षेप का अनुपात । | कम्पनी द्वारा 1 : 20 की विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा प्राप्त करने की तारीख । |
|---|---|

(1)

(2)

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| (क) 1 : 20 से अधिक किंतु 1 : 25 तक | 31-3-2011 द्वारा |
|------------------------------------|------------------|

(1)

(2)

(ख) 1 : 25 से अधिक किंतु 1 : 30 तक 31-3-2012 द्वारा

(ग) 1 : 30 से अधिक किंतु 1 : 40 तक 31-3-2013 द्वारा

(घ) 1 : 40 से अधिक किंतु 1 : 45 तक 31-3-2014 द्वारा

(ङ) 1 : 45 से अधिक किंतु 1 : 50 तक 31-3-2015 द्वारा”;

(ख) मद (ii) में,—

- उप-मद (अ) में, “12 मास” शब्दों के स्थान पर, “06 मास” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- उप-मद (इ) में, “20000” अंकों के स्थान पर, “50,000” अंक रखे जाएंगे;

(ii) उप-खंड (ज) के मद (ii) में, “पांच प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “साढ़े सात प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 11/17/2009-सी.एल. VI]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2010

G.S.R. 881(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 637A of the Companies

Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, erstwhile Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) No. GSR 555(E), dated 26-7-2001, and published in the Gazette of India, in Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 26th July, 2001, namely:—

In the said notification, in clause (1),—

(i) in sub-clause (d),—

(a) in item (i), for the first proviso, the following Proviso shall be substituted, namely:—

“Provided in the case of Nidhi incorporated on or before the 26th July, 2001 having deposits in excess of the aforesaid limits, the same shall be brought to the specified limit by increasing the Net Owned Fund position or alternatively by reducing the deposit according to the time table given below :

| Ratio of Net Owned Fund to Deposits (as on 31-3-2010) | Date by which the company has to achieve prescribed ceiling of 1 : 20 |
|---|---|
| (1)   | (2)   |
| (a) More than 1 : 20 but up to 1 : 25                 | By 31-3-2011  |

| (1)                                   | (2)            |
|---------------------------------------|----------------|
| (b) More than 1 : 25 but up to 1 : 30 | By 31-3-2012   |
| (c) More than 1 : 30 but up to 1 : 40 | By 31-3-2013   |
| (d) More than 1 : 40 but up to 1 : 45 | By 31-3-2014   |
| (e) More than 1 : 45 but up to 1 : 50 | By 31-3-2015”; |

(b) “in item (ii),—

1. in sub-item (A), For the figures and word “12 months”, the figures and words “06 month” shall be substituted;

2. in sub-item (C), For the figures “20,000” the figures “50,000” shall be substituted;

(ii) in sub-clause (h), in item (ii), for the words “five percent”, the words “seven and half perent”, shall be substituted.

[F. No. 11/17009-L.VI]

RENUKA KUMAR, J. Secy.